



राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ89(16)एल.एम/बी.आर.ए.पी/2016

दिनांक 14.09.2017

कार्यालय आदेश

वाणिज्यिक व्यापार कार्य सुधार योजना (BRAP) - 2017 एवं EoDB के तहत विधिक मापविज्ञान निरीक्षकों/अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान/संस्थान आदि का निरीक्षण किया जाता है तो विभाग को 48 घंटों की समयवधि में ऑनलाईन सूचित करेंगे।

(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान

क्रमांक एफ89(16)एल.एम/बी.आर.ए.पी/2016

दिनांक 14.09.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. आयुक्त उद्योग विभाग को भेजकर अनुरोध है कि EoDB guide line के बिन्दु संख्या 178 की पालना कर दी गई है।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
3. निजी सचिव, नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान एवं निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग।
4. श्रीमती राजश्री सांखला (ए.सी.पी) उप निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
5. समस्त निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान
6. सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान
7. उप नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान.....
8. रक्षित पत्रावली।

(सोहन लाल नथ योगी)

उप नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, राजस्थान